न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 213/2012

1. सरला देवी पत्नी स्व. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनीराम जाति बिश्नोई निवासी 1 एम. एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. अमनदीप } पुत्रान स्व. सुरेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी 1 एम.एल.
3. रमनदीप } तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

– – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सुशील बिश्नोई अधिवक्ता — वादी
2. पैराकार राज

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 02.06.2017**

वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी संख्या 1 के दादा ससुर व वादी संख्या 2 व 3 के दादा श्री बगडावतराम पिसर मुत्वन्ना मघाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 1 एम.एल. कालूवाला की मुश्तका खाता में 3.224 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज है जिसमें से 1.612 हैक्टर कृषि भूमि जरिये डिक्री दिनांक 03.07.2006 के द्वारा भजनलाल के वारिसान के नाम से दर्ज की जा चुकी है जमाबन्दी संलग्न वाद है।

वादी संख्या 1 के दादा ससुर व वादी संख्या 2 व 3 के दादा बगड़ावत का देहान्त दिनांक 07.10.1982 को हो चुका है बगड़ावतराम नें अपनें जीवनकाल में ही अपनी उक्त स्वअर्जित कृषि भूमि को पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 09.07.1981 को स्वस्थ चित से एवम् रोबरू गवाहन अपनें दोनों पुत्रोंभजनलाल व मनीराम के पक्ष में बहिस्सा बराबर निष्पादित कर दी फोटो प्रति वसीयत संलग्न है।

बगडावत की अन्तिम वसीयत के अनुसार एवम् उसके देहान्त के उपरान्त उनकी एक्त वर्णित वादधीन कृषि भूमि कुल 12.15 बीघा में से निस्फ हिस्सा के खातेदार वादी संख्या 1 के ससुर व वादीगण संख्या 2 व 3 के दादा मनीराम हुए एवम् निस्फ हिस्सा के खातेदार भजनलाल हुए।

वादीगण के पिता व दादा श्री मनीराम का देहान्त दिनांक 15.05.2002 को हो चुका है श्री मनीराम को वसीयत दिनांक 09.07.1981 के अनुसार प्राप्त विवादित कृषि भूमि में से निस्फ हिस्सा अर्थात लगभग 6 बिघा 7–1/2 बिस्वा कृषि भूमि की वसीयत श्री मनीराम द्वारा दिनांक 29.010.1996 को स्वस्थ चित से रोबरू गवाहान वादी संख्या 1 के पति सुरेन्द्र कुमार व वादी संख्या 2 व 3 के हक में तहरीर तकमील की दी थी जिसकी फोटो प्रति संलग्न वाद पत्र है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

स्व. मनीराम की अन्तिम वसीयत अनुसार वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 व 3 तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 1 एम.एल. की मुश्तर्का खाता में 3.224 हैक्टर कृषि भूमि में से निस्फ हिस्सा भजनलाल के वारिसान के नाम से डिक्री होनें के बाद शेष 1.612 हैक्टर के मनीराम के देहान्त के उपरान्त स्वतः ही खातेदार हो गये। वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 व 3 के पिता तथा वादी संख्या 2 व 3 स्वयं उक्त निस्फ हिस्सा पर साधिकार बतौर खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 व 3 के पिता सुरेन्द्र कुमार का दिनांक 28.10.2011 को स्वर्गवास हो चुका है। उनके स्वर्गवास होनें के बाद से वादीगण उनके विधिक वारिसान होनें के कारण उनके हिस्सा की कृषि भूमि के काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि आज भी राजस्व रिकार्ड में बगडावत् के दादा के नाम से अंकित है जिसे वादीगण दुरूस्त करवाकर निस्फ हिससा अपनें नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित करवा पानें के अधिकारी है।

जवाना पुत्र मुतनाजा के नाम से इसी खाता में 0.522 हैक्टर भूमि दर्ज रिकार्ड है ज्वाना पुत्र मुतनाजा का देहान्त ला औलाद हो चुका है ज्वाना पुत्र मुतनाजा को कोई विधिक वारिस नहीं है इसलिये उन्हे पक्षकारान नहीं बनाया गया है।

ज्वाना पुत्र मुतनाजा की 0.522 हैक्टर में से निस्फ हिस्सा पर वादीया संख्या 1 के पति एवम् वादी संख्या 2 व 3 का कब्जा अर्सा दराज पच्चीस वर्ष से निरन्तर बिना किसी रूकावट के जग जाहिर चला आ रहा है ज्वाना पुत्र मुतनाजा को वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 व 3 तथा उसके पिता स्व. सुरेन्द्र नें अर्सा पच्चीस वर्ष पूर्व ही कब्जा से बाहर कर दिया था तथा उनके द्वारा कभी भी वादीगण के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही नहीं की गई है। जिसकी समयावधि भी व्यतीत हो चुकी है। एवम् वादीगण उक्त हिस्सा में से निस्फ हिस्सा के स्वतः ही खातेदार प्रतिकूल कब्जा के आधार पर हो चुके है एवम् इस आश्य की घोषणा जरिये न्यायालय करवा पानें के अधिकारी है। वादीगण मृतक ज्वाना के हिससा की कुल आराजी 0.522 में से निस्फ हिस्सा की प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार कृषक है।

भूमि अभी भी मुश्तर्का दर्ज रिकार्ड है लेकिन मौका पर समस्त काश्तकारान नें अपनी अपनी सहुलियत से भूमि का विभाजन कर रखा है वादीगण के हिस्सा में अपनें पिता/ससुर दादा मनीराम के वसीयत से आई कृषि भूमि 6 बीघा 7–1/2 बिस्वा एवम् प्रतिकुल कब्जा के आधार पर काबिज काश्त लगभग 1 बीघा 4–1/2 बिस्वा तादादी कुल लगभग 7.12 बीघा कृषि भूमि भी विशेष मुरब्बा नम्बर व किला नम्बर 1 एम.एल. का मुरब्बा नम्बर 34 में किला नम्बर 2 ता 4, किला नम्बर 7 ता 9 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर) किला नम्बर 11/0.025, 12/.127, 13/.126, 14/.126 कुल 1.923 हैक्टर अर्थात 7.12 बीघा उक्त भूमि को आगे वादपत्र में वादाधीन कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादीगण अपनें हिस्सा एवम् कब्जा काश्त की भूमि पर वादीया संख्या 1 अपनें पति, ससुर एवम् दादा ससुर तथा वादी संख्या 2 व 3 अपनें पिता दादा व पड़दादा के देहान्त के उपरान्त समय से काबिज होकर काश्त कर रहे है। ज्वाना पुत्र मुतनाजा का कब्जा आज तक उक्त वादाधीन कृषि भूमि पर कब्जा नहीं रहा, ना ही उन्होनें कभी भी भूमि को काश्त किया।

वादाधीन भूमि का लगान राज्य सरकार को वादीगण अदा करते है। पानी की पर्ची वादीगण को प्राप्त होती है एवम् सिचाई सुविधा का उपयोग व उपभोग वादीगण ही करते है। वादीगण का कब्जा जग जाहिर है। इसलिये वादीगण प्रतिकुल कब्जा के आधार पर एवम् वसीयत के आधार पर वादाधीन कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अपनें नाम से करवानें का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार 3

भूमि राजस्व रिकार्ड में मुश्तर्का अवश्य दर्ज है लेकिन मौका पर सहकाश्तकारान नें अपनी अपनी सहुलियत अनुसार विभाजन कर रखा है एवम् प्रत्येक काश्तकार अपनी अपनी हिस्सा की भूमि पर काबिज है। सह काश्तकार के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिये उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है।

वादीगण द्वारा कई मरतबा ज्वाना को उसके जीवनकाल में निवेदन किया था कि उनके हिस्सा की वादाधीन कृषि भूमि में से निस्फ हिस्सा पर वादीगण का कब्जा प्रतिकुल हो चुका है। इसलिये उन्हे खातेदार मानकर राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाकर वादीगण का नाम दर्ज करवा दिया जावे। इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 को निवेदन किया गया कि वह बगड़ावत एवम् मनीराम की वसीयत के अनुसार वादीगण के नाम से भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्रात करें जिससे वादीगण का काश्त करनें तथा बैक ऋण वगैरा प्राप्त करनें में असुविधा नहीं रहे लेकिन प्रतिवादी आजकल कहकर टालते रहे तथा अन्ततः दिनांक 01.07.2012 को ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गये बस सही बिनाय मुखास्मत खिलाफ प्रतिवादीगण को हासिल है।

अतः वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

1. डिक्री घोषणाात्मक बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण पारित की जाकर वादीगण के नाम से मृतक बगड़ावत एवम् मृतक मनीराम की वसीयत के अनुसार उनके हिस्सा की कृषि भूमि को अमल दरामद किया जावे।
2. डिक्री घोषणाात्मक बहक वादीगण मृतक ज्वानाराम पुत्र मुतनाजा के कुल हिस्सा में से निस्फ का खातेदार वादीगण को प्रतिकुल कब्जा के आधार पर घोषित किया जाकर रास्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।
3. डिक्री दुरूस्ती जमाबन्दी पारित की जाकर राजस्व रिकार्ड संशोधित किया जावे एवम् वादीगण को तहसील व जिला श्रीगंगानगर को चक 1 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 2 ता 4, 7 ता 9 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर) किला नम्बर 11/0.025, 12/.127, 13/.126, 14/.126 कुल 1.923 हैक्टर अर्थात 7.12 बीघा का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे इसका इन्द्राज किया जावे।
4. वादीगण को खर्चा मुकद्मा दिलाया जावे।
5. अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में समझे दिलवाया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की और से पैरोकार राज/नायब तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जबाब पेश किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि लगातार कब्जे का साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। ज्वाना के हिस्से पर कब्जे के प्रश्न पर बगड़ावत व ज्वाना अन्य सहखातेदारों के साथ खातेदार है बगड़ावत की भूमि पर वादी का विरास्तन हक हो सकता है। परन्तु सह खातेदारों के मामले की भूमि के प्रत्येक हिस्से पर प्रत्येक सहखातेदार का हक व हिस्सा होनें का सिद्धान्त लागु होता है इसलिये इस मामले में प्रतिकुल कब्जे का सिद्धान्त लागु नहीं होता है।

वाद पत्र के अनुसार जमाबन्दी में भूमि बगड़ावत पि.मु. मघाराम के नाम दर्ज है बगड़ावत की मृत्यु के बाद वारिस कौन कौन है इसका कुर्सीनामा नहीं दिया गया है एवम् न ही बगड़ावत के समस्त वारिसान को पक्षकार बनाया गया है।

जमाबन्दी के अनुसार भूमि मुश्तर्का खाता की भूमि है समस्त खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है, ज्वानाराम व बगड़ावत सह खातेदार है वादीगण बगड़ावत के

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

वारिस वसीयत के आधार पर वाद लाये है परन्तु बगड़ावत के अन्य वारिसान को पक्षकार न बनाये जानें के कारण यह दावा चलनें योग्य नहीं है ज्वाना के 0.522 हैक्टर भूमि पर प्रतिकुल कब्जे के प्रश्न पर सह खातेदारी भूमि मे प्रतिकुल कब्जे का सिद्धान्त लागु नहीं होता है। इसलिये दावा काबिल खारिज है। अतः राज्यहित को मध्यनजर रखते हुए निर्णय किया जाता है, तो स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है।

स्टेट की और से जबाब पेश होनें पर पत्रावली का अवलोकन किया जाकर निम्नानुसार तनकियात बनाई गई :–

1. आया कि विवादास्पद भूमि चक 1 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 2 ता 4, 7 ता 9 किला नम्बर 11/.025, 12/.127, 13/.126, 14/.126 कुल 1.923 हैक्टर अर्थात 7.12 बीघा भूमि बगड़ावत के नाम से है, बगड़ावत की मृत्यु के पश्चात वादीगण का किस कदर उनका प्रतिकुल कब्जा है ? – – वादीगण
2. आया कि बगड़ावत का देहान्त दिनांक 07.10.1982 को होने के कारण जीवनकाल में स्व. अर्जित भूमि को पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 09.07.1981 को दोनो पुत्रों भजनलाल व मनीराम के पक्ष में बहिस्सा बराबर निष्पादित करनें के उपरान्त विवादास्पद भूमि 12.10 बीघा के खातेदार मनीराम व भजनलाल हुए मनीराम नें अपनें हिस्से की भूमि वसीयत दिनांक 29.10.1996 को वादी संख्या 1 के पति सुरेन्द्र कुमार व वादी संख्या 2 व 3 के हक में तहरीर तकमील कर दी है। सुरेन्द्र कुमार का दिनांक 28.10.2011 को स्वर्गवास होनें के बाद विधिक वारिसान की हैसियत से वादी काबिज चले आ रहे है जिसे दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकित करवानें के अधिकारी है ? – – वादीगण
3. आया कि विवादास्पद भूमि चक चक 1 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 2 ता 4, 7 ता 9 किला नम्बर 11/.025, 12/.127, 13/.126, 14/.126 कुल 1.923 हैक्टर अर्थात 7.12 बीघा भूमि अपनें पिता ससुर, दादा मनीराम के वसीयत से आई है भूमि प्रतिकुल कब्जा के आधार पर पानें के खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे ? – – वादीगण
4. आया कि विवादास्पद भूमि में सहखातेदार ज्वानाराम मुतनाजा के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। बगड़ावत व ज्वानाराम अन्य सहखातेदारों के साथ खातेदार है बगड़ावत की भूमि पर वादी का विरास्तन हक हो सकता है प्रत्येक हिस्से पर प्रत्येक सह खातेदार का हक व हिस्सा का सिद्धान्त लागु होता है सहखातेदारी भूमि में प्रतिकुल कब्जे का सिद्धान्त लागु नहीं होता है इसलिये दावा काबिले खारिज है ? – – प्रतिवादी संख्या 1
5. आया कि विवादास्पद भूमि जमाबन्दी के अनुसार ज्वानाराम व बगड़ावत सहखातेदार की है, वादीगण बगड़ावत के वारिस वसीयत के आधार पर वाद लाये है परन्तु बगड़ावत के अन्य वारिसान को पक्षकार न बनाये जानें के कारण दावा चलनें योग्य नहीं है ज्वाना पुत्र मुतनाजा के वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है प्रतिकुल कब्जे का सिद्धान्त लागु नहीं होता है इसलिये दावा काबिले खारिज है।
– – प्रतिवादी संख्या 1

उक्त तनकियात के आधार पर वादीगण की और से साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिसके अन्तर्गत वाद के बिन्दूओं को ही दोहराया गया प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं गई तथा ना ही साक्ष्य पेश किये जानें पर वादीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस हेतु निवेदन किये जानें पर पत्रावली बहस हेतु रखी गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार 5

न्याय आपके द्वार अभियान राजस्व लोक अदालत अभियान 2017 के अन्तर्गत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत 2 एम.एल. में वादीगण की और से मनीराम पुत्र श्री बगड़ावत राम के वारिसान शिविर में उपस्थित होकर बतौर साक्ष्य सहमती पत्र पेश कर कथन किया कि श्री बगड़ावतराम द्वारा अपनी स्व. अर्जित भूमि की वसीयत अपनें पुत्रों मनीराम व भजनलाल के पक्ष मे की गई थी मनीराम द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर आगे अपनें बेटे सुरेन्द्र के हक में की गई थी उक्त वयीयत का किसी कारणवश नामान्तरकरण दर्ज नहीं हुआ उक्त के सम्बंध में हमारा आपस में कोई मनमुटाव नहीं है वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जावे तो हम वारिसान को कोई एतराज नहीं है।

A12/5

वादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद में वादिया को प्राप्त होनें वाला हक वादिया अपनें पुत्रों वादी संख्या 2 व 3 के हक में परित्याग करती हूँ अतः वाद का निर्णय वादी संख्या 2 व 3 के हक में किया जाता है, तो कोई एतराज नहीं है।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौरानें बहस सुयोग्य अधिवक्ता नें अपनें वाद पत्र को दोहराते हुए तथा न्याय आपके द्वारा अभियान के दौरान साक्ष्य स्वरूप सहमती पत्र को दोहराया तथा वादी संख्या 1 की समहती के अनुसार वादी संख्या 1 को वाद में प्राप्त होने वाला हक वादी संख्या 1 की सहमती अनुसार वादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में दर्ज करवानें हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि बगड़ावत का देहान्त दिनांक 07.10.1982 को होने के कारण जीवनकाल में स्व. अर्जित भूमि को पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 09.07.1981 को दोनो पुत्रों भजनलाल व मनीराम के पक्ष में बहिस्सा बराबर निष्पादित करनें के उपरान्त विवादास्पद भूमि 12.10 बीघा के खातेदार मनीराम व भजनलाल हुए मनीराम नें अपनें हिस्से की भूमि वसीयत दिनांक 29.10.1996 को वादी संख्या 1 के पति सुरेन्द्र कुमार व वादी संख्या 2 व 3 के हक में तहरीर तकमील कर दी है। सुरेन्द्र कुमार का दिनांक 28.10.2011 को स्वर्गवास होनें के बाद विधिक वारिसान की हैसियत से वादी काबिज चले आ रहे है इस सम्बधं में न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत 2 एम.एल. में वादी संख्या 1 के ससुर व वादी संख्या 2 व 3 के दादा मनीराम के वारिसान नें सहमती प्रस्तुत की जिसको लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

विवादास्पद भूमि में सहखातेदार ज्वानाराम मुतनाजा के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस सम्बंध में वादीगण के कथनानुसार एवम् शपथ पत्र के अनुसार जवाना पुत्र मुतनाजा का देहान्त ला औलाद हो चुका है ज्वाना पुत्र मुतनाजा को कोई विधिक वारिस नहीं है इसलिये उन्हे पक्षकारान नहीं बनाया गया है। परन्तु भूमि सहखाते की होनें के कारण वादी किला विशेष की भूमि का विभाजन बिना सहखातेदारान की सहमति से करवानें के अधिकारी नहीं है, ना ही वादीगण द्वारा सह खातेदारान को पक्षकार बनाया गया है इस कारण वादीगण को किला विशेष का खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वादी संख्या 2 व 3 अमनदीप, रमनदीप पुत्रान स्व. सुरेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी 1 एम.एल. को चक 1 एम.एल. के खाता संख्या 23/25 में अपनें पड़दादा बगड़ावत द्वारा उनके दादा मनीराम को की गई वसीयत फिर अपनें दादा मनीराम द्वारा अपनें पिता सुरेन्द्र कुमार को की गई वसीयत तथा सुरेन्द्र कुमार

लगातार 6

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

के देहान्त के बाद विरास्तन प्राप्त होनें तथा वादी संख्या 1 की सहमती के आधार पर बगड़ावत पि. मु. मघाराम की 1.612 हैक्टर भूमि का बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 2 व 3 का हिस्सा कायम किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 02.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चक महाराजका में मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर